



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2018/ श्रावण 8, 1940

No. 519]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/SHRAVANA 8, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018

सं. 01/2018-सीमा शुल्क (एसजी)

सा.का.नि. 717(अ).—जबकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8541 अथवा टैरिफ मद 8541 40 11 के अंतर्गत "सोलर सेल्ल चाहे वे मॉड्यूल्ल या पैनल्ल में जोड़े गए हों अथवा नहीं" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है), के आयात के मामले में व्यापार उपचार महानिदेशालय ने अपने अंतिम निष्कर्षों फा. सं. 22/1/2018-डीजीटीआर, दिनांक 16 जुलाई, 2018, जो कि भारत के राजपत्र भाग-I, खंड-1 में दिनांक 16 जुलाई, 2018 को प्रकाशित किए गए थे, में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8541 अथवा टैरिफ मद 8541 40 11 के अंतर्गत आने वाली विषयगत वस्तुओं पर 2 वर्ष के लिए रक्षोपाय ड्यूटी नीचे निर्दिष्ट दर पर लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय ड्यूटी की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 12, 14 और 17 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, व्यापार उपचार महानिदेशालय के उक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात और पैरा 2 के प्रावधानों के अधीन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8541 अथवा टैरिफ मद 8541 40 11 के अंतर्गत आने वाली विषयगत वस्तुओं, जब वे भारत में आयात की जाती हैं तो उन पर निम्नलिखित दर से एतद्द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाती है, अर्थात्:-

- (क) 30 जुलाई, 2018 से 29 जुलाई, 2019 (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 25 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर;
- (ख) 30 जुलाई, 2019 से 29 जनवरी, 2020 (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 20 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर; और
- (ग) 30 जनवरी, 2020 से 29 जुलाई, 2020 (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के दौरान भारत में आयात किए जाने पर 15 प्रतिशत यथा मूल्य में से देय प्रतिपाटन शुल्क यदि कोई हो, को घटाकर।

2. इस अधिसूचना में विहित कोई भी बात, चीन जनवादी गणराज्य और मलेशिया के अलावा, दिनांक 05 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एनटी) में विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित देशों से होने वाले विषयगत वस्तुओं के आयात पर लागू नहीं होगी।

[फा. सं. 354/31/2018-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2018

No. 01/2018-Customs (SG)

G.S.R. 717(E).—Whereas, in the matter of import of "Solar Cells whether or not assembled in modules or panels" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under heading 8541 or tariff item 8541 40 11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Directorate General of Trade Remedies *vide* final findings F.No.22/1/2018-DGTR, dated the 16th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, on 16th July, 2018, has recommended the imposition of safeguard duty on subject goods falling under heading 8541 or tariff item 8541 40 11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act for a period of two years at the rate specified hereinbelow.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, read with rules 12, 14 and 17 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, after considering the said findings of the Directorate General of Trade Remedies and subject to the provisions of paragraph 2, hereby imposes on subject goods falling under heading 8541 or tariff item 8541 40 11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, when imported into India, a safeguard duty at the following rate, namely:-

- (a) twenty five per cent. *ad valorem* minus anti-dumping duty payable, if any, when imported during the period from 30th July, 2018 to 29th July, 2019 (both days inclusive);
- (b) twenty per cent. *ad valorem* minus anti-dumping duty payable, if any, when imported during the period from 30th July, 2019 to 29th January, 2020 (both days inclusive); and
- (c) fifteen per cent. *ad valorem* minus anti-dumping duty payable, if any, when imported during the period from 30th January, 2020 to 29th July, 2020 (both days inclusive).

2. Nothing contained in this notification shall apply to imports of subject goods from countries notified as developing countries *vide* notification No. 19/2016-Customs (N.T.) dated 5th February, 2016, except China PR, and Malaysia.

[F. No. 354/31/2018-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

**RAKESH
SUKUL**

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.30
10:08:41 +05'30'